(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री उस्मान अली खान पुत्र डॉ. मोहम्मद अली खान निवासी कमधज नगर, निम्बाहेड़ा

बनाम

सद्र (अध्यक्ष) औकाफ कमेटी, मस्जिद घोंसियान के उपर, निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 11/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री उस्मान अली खान पुत्र डॉ. मोहम्मद अली खान निवासी मंदिर के पास वाली गली, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 02.12.2018 को सद्र (अध्यक्ष) औकाफ कमेटी मस्जिद घोंसियान के उपर, निम्बाहेड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, सद्र (अध्यक्ष) औकाफ कमेटी मस्जिद घोंसियान के उपर, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। सद्र (अध्यक्ष) औकाफ कमेटी मस्जिद घोंसियान के उपर, निम्बाहेड़ा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि सद्र (अध्यक्ष) औकाफ कमेटी मस्जिद घोंसियान के उपर, निम्बाहेड़ा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौडगढ (राज.)	आ.की 17.1.19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ राज.)